



लोक अदालत

❖ सन्दर्भ

> हाल ही में, देश भर में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 1,08,51,553 मामलों का निपटारा किया गया।

❖ प्रमुख बिंदु

- कोविड महामारी के दौरान, विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) ने नवीन रूप से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया और ई-लोक अदालत की शुरुआत की, जिसमें प्रभावित पक्ष अदालत स्थल भौतिक उपस्थिति के बिना ही मामलो को निस्तारित कर सकते थे।
- एन.ए.एल.एस.ए(NALSA) के आंकड़ों के अनुसार, 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) ने जून, 2020 से अब तक ई-लोक अदालतों का आयोजन किया गया है।

लोक अदालत के बारे में

- लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है।
- यह सामान्य लोगों को अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है।
- यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय सम्मुख जा चुके अथवा पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत इसे वैधानिक दर्जा दिया गया।
- इसमें विवादों का एक ही दिन में निस्तारण होता है।
- यह तीव्रता प्रक्रियात्मक लचीलेपन के कारण है, क्योंकि लोकअदालत की कार्यवाही में नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 जैसे प्रक्रियात्मक कानूनों सख्त अनुप्रयोग नहीं किया जाता।
- अवाई (निर्णय) - इसके निर्णय को कोर्ट की डिक्री मानी जाती है तथा यह सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होती है।
- इस तरह के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- यद्यपि पक्षकार लोक अदालत के निर्णय से संतुष्ट न हों फिर भी ऐसे इसके निर्णय के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है।
- हालांकि, पक्षकार मुकदमे के अधिकार का प्रयोग कर, आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए उपयुक्त अधिकार क्षेत्र की अदालत मामला दर्ज करके मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

लोक अदालत का महत्व

- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, जिला और तालुका अदालतों में सभी मामलों में से 16.9% तीन से पांच साल पुराने हैं।
- उच्च न्यायालयों में लंबित, सभी मामलों में से 20.4% 5 से 10 वर्ष पुराने हैं, और 17% से अधिक से 20 वर्ष पुराने हैं।
- इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय के समक्ष 66,000 से अधिक मामले, विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष 57 लाख से अधिक मामले और विभिन्न जिला और अधीनस्थ अदालतों के समक्ष 3 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।
- इसके अतिरिक्त, लोक अदालतें आर्थिक दृष्टिकोण से वहनीय हैं; क्योंकि लोक अदालत के समक्ष मामलों को रखने के लिए कोई न्यायालयी शुल्क नहीं है। इसके साथ ही इसमें निर्णयों की अंतिमता भी है जिससे आगे अपील की अनुमति नहीं है।
- उपरोक्त स्थितियों के परिणामस्वरूप, पक्षकार लोक अदालतों में जाने के लिए प्रेरित हुए हैं क्योंकि यह एक पक्षकार -संचालित प्रक्रिया है, जिससे पक्षकारों को एक सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने में सफलता मिलती है।

ओकावांगो डेल्टा और मर्चिसन फॉल्स

❖ सन्दर्भ

> तेल कंपनियां तेल निकालने के लिए ड्रिल करने के प्रयास में अफ्रीका के दो प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए संकट उत्पन्न कर रही हैं।

ओकावांगो डेल्टा

- यह दक्षिणी अफ्रीका में उत्तर-पश्चिमी बोत्सवाना में स्थित एक अंतर्देशीय डेल्टा है।

- नदी का पानी अन्यथा शुष्क क्षेत्र को जलभराव वाली आर्द्रभूमि में बदल देता है जो जानवरों, पौधों और दस लाख से अधिक लोगों के लिए महत्वपूर्ण जल संसाधन है।

Face to Face Centres





- यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।
- यह डेल्टा ओकावांगो नदी द्वारा निर्मित है, जिसे क्यूबांगो नदी के रूप में भी जाना जाता है। यह नदी अंगोला के उच्च क्षेत्रों से निकलती है।
- 1,500kms की लंबाई के साथ, दक्षिणी अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है।
- यह दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में प्रवाह तथा विस्तार करती है जिसे फैन (fan) कहा जाता है।
- यह डेल्टा सैन स्थानीय समुदायों की मातृभूमि भी है। यह अफ्रीका की बिग फाइव वन्यजीव प्रजातियों : सवाना हाथी, केप भैंस, गैंडे, शेर और तेंदुए का घर है।

- कनाडा की एक कंपनी कवांगो ज़म्बेजी ट्रांसफ्रंटियर नेचर कंजर्वेशन एरिया (काज़ा) में तेल की ड्रिलिंग कर रही है।
- काज़ा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रकृति और परितृश्य संरक्षण क्षेत्र है। यह अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमाओं में फैला हुआ है।

द मर्चिसन फॉल्स

- इसे कबालेगा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है, यह युगांडा में विक्टोरिया नील नदी पर क्योगा झील और अल्बर्ट झील के बीच एक जलप्रपात है।
- अल्बर्ट झील रिफ्ट वैली ग्रेट झीलों में से एक है जो युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच की सीमा पर स्थित है।

वैश्विक दक्षिण

सन्दर्भ

➤ केंद्रीय विदेश मंत्री ने हाल ही में टिप्पणी की कि, "भारत अपनी जी20 अध्यक्षता के दौरान "वैश्विक दक्षिण की आवाज" बनेगा।

मुख्य बिंदु

- 'ग्लोबल नॉर्थ' अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को संदर्भित करता है, जबकि 'ग्लोबल साउथ' में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश शामिल हैं।
- ये शब्द, इन समूहों में सम्मिलित देशों की समानता को प्रदर्शित करते हैं -
 - गोलार्ध के दक्षिण में भौगोलिक स्थिति।
 - यूरोपीय शक्तियों के द्वारा उपनिवेशीकरण का इतिहास।
 - प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों से इन क्षेत्रों का ऐतिहासिक बहिष्कार।
 - दुनिया के गरीब और/या सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए के क्षेत्र।
 - विश्व बैंक द्वारा निम्न/मध्यम आय में वर्गीकृत देश।
- वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) 1955 के बांडुंग सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र 77 के समूह के संदर्भ में क्रॉस-रीजनल और बहुपक्षीय गठजोड़ के लिए भी एक साथ है।
- 2003 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की, " फोर्जिंग अ ग्लोबल साऊथ (एक वैश्विक दक्षिण बनाना) पहल ने ग्लोबल साउथ की अवधारणा की ओर ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

वैश्विक व्यवस्था का दृष्टिकोण

- अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन के सरल विश्लेषण के लिए देशों को व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- उदाहरण के लिए, शीत युद्ध काल के दौरान देशों को क्रमशः अमेरिका, यूएसएसआर और गुटनिरपेक्ष देशों के साथ उनके सहयोग/गठबंधन के अनुसार प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व और तीसरी दुनिया के देशों में वर्गीकृत किया गया था।
- इन अवधारणाओं के केंद्र में 1974 में समाजशास्त्री इमैनुएल वॉलरस्टीन द्वारा प्रस्तुत की गई वैश्विक व्यवस्था के दृष्टिकोण की अवधारणा थी।
- उन्होंने विश्व राजनीति को देखने के एक दूसरे से जुड़े हुए परिप्रेक्ष्य पर जोर दिया।
- उन्होंने कहा कि उत्पादन के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं: कोर, परिधीय और अर्ध-परिधीय।
- अमेरिका या जापान जैसे देशों में अत्याधुनिक तकनीकों के ओनर होने के कारण मुख्य क्षेत्र लाभ कमाते हैं। दूसरी ओर, परिधीय क्षेत्र, कम परिष्कृत उत्पादन में संलग्न हैं जो अधिक श्रम प्रधान है। इनके मध्य में भारत और ब्राजील जैसे अर्ध-परिधीय देश आते हैं।



संक्षिप्त सुर्खियां

❖ सन्दर्भ

➤ हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ के एपीआरएम) की चल रही एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक में श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत में बड़े उद्योग श्रम मानकों का पालन नहीं करते हैं।

❖ मुख्य बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की स्थापना 1919 में राष्ट्र संघ के तहत की गई थी तथा 1946 में इसे संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में सम्मिलित किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसी है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) को 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

➤ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का लक्ष्य

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा समर्थित मानकों का उद्देश्य, व्यापक रूप से स्वतंत्रता, इक्विटी, सुरक्षा और गरिमा की स्थितियों में सम्पूर्ण विश्व में सुलभ, उत्पादक और सतत कार्य सुनिश्चित करना है।
- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 8 मौलिक अभिसमयों में से 6 का अनुसमर्थन किया है।

➤ सदस्य - ILO में 187 सदस्य देश हैं (संयुक्त राष्ट्र के 186 सदस्य + कुक आइलैंड)

- भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य है और 1922 से आईएलओ के शासी निकाय का स्थायी सदस्य है।

➤ मुख्यालय - जिनेवा, स्विट्जरलैंड।

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्पूर्ण विश्व में लगभग 40 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

➤ संगठनात्मक संरचना

- संगठन की तीन स्तरीय संरचना है जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है।
- ILO के तीन मुख्य निकाय अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, शासी निकाय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय हैं।

❖ सन्दर्भ :-

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री द्वारा प्रदान की गई हालिया जानकारी के अनुसार, अब तक कृषि उड़ान 2.0 योजना में 58 हवाई अड्डों को सम्मिलित कर लिया गया है।

❖ मुख्य विशेषताएं

- लगभग छह महीने तक चलने वाली पायलट परियोजना के आरम्भ में 53 हवाईअड्डों को सम्मिलित किया गया था।
- तदोपरांत पांच अन्य हवाई अड्डों को इस योजना में शामिल किया गया। इस कदम के बाद कवर किए गए हवाई अड्डों की कुल संख्या 58 हो गई।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)



International
Labour
Organization

कृषि उड़ान योजना 2.0

KRISHI UDAAN 2.0

PB
NS



Seamless, cost-effective,
time-bound air transportation
for 'Annadata'

Face to Face Centres



❖ कृषि उड़ान योजना 2.0

- अगस्त 2020 में कृषि उड़ान योजना का आरम्भ कृषि उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर परिवहन में किसानों की सहायता करने के लिए की गई थी जिससे उनकी मूल्य प्राप्ति में सुधार हो सके।
- 27 अक्टूबर, 2021 को कृषि उड़ान योजना 2.0 का अनावरण किया गया।
- नोडल मंत्रालय- नागर विमानन मंत्रालय।
- **कार्यान्वयन एजेंसी --AAICLAS** - यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 100% सहायक कंपनी है जिसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी, इन्वेस्ट इंडिया के समर्थन से बनाया गया था।

➤ उद्देश्य

- सभी कृषि उत्पादों (विशेष रूप से देश के उत्तर-पूर्व, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले उत्पादों) के लिए कुशल, आवधिक (समय पर) तथा लागत प्रभावी हवाई परिवहन को सक्षम करना।
- कृषि वस्तुओं को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों के मिश्रण में हवाई परिवहन के अनुपात को बढ़ाने के लिए, जिसमें बागवानी, मत्स्य पालन, पशुधन और प्रसंस्कृत सामान भी शामिल हैं।

➤ महत्व

- यह कार्यक्रम किसानों को उनके उत्पाद का मूल्य बढ़ाने के लिए उनकी उपज को कहीं ले जाने में सहायता करता है।
- यह देश में कृषि खाद्य अपशिष्ट की बर्बादी की समस्या को हल करने में मदद करेगा।

❖ सन्दर्भ

» हाल ही में आरबीआई ने कहा है कि वह यूपीआई प्लेटफॉर्म में एक नई सुविधा जोड़ेगा। इसके अतिरिक्त, भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) में सभी भुगतान तथा संग्रह को सम्मिलित करेगा।

❖ यूपीआई में नई सुविधा के बारे में

- नई कार्यक्षमता को सिंगल-ब्लॉक-एंड-मल्टीपल-डेबिट कहा जाएगा।
- यह उन भुगतानों में सहायक होगा जहां वस्तुओं और सेवाओं का वितरण बाद में होता है, जैसे ई-कॉमर्स खरीद, होटल बुकिंग या निवेश।
- इससे ग्राहक अपने बैंक खाते में धनराशि को अवरुद्ध करके एक व्यापारी के लिए भुगतान आदेश बना सकता है, जिसे आवश्यकतानुसार डेबिट किया जा सकता है।
- इस तरह की सुविधा लेनदेन में अधिक विश्वास पैदा करेगी क्योंकि व्यापारियों को समय पर भुगतान का आश्वासन होगा।

❖ बीबीपीएस के बारे में

- यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा संचालित भारतीय रिजर्व बैंक का एक तंत्र है।

बीबीपीएस और सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट फीचर



Face to Face Centres



- यह बिजली, दूरसंचार, डीटीएच, गैस, पानी के बिल, बीमा प्रीमियम, ऋण चुकौती, केबल, फास्टैग रिचार्ज, शैक्षिक शुल्क, क्रेडिट कार्ड, नगर निगम कर, आपसी सदस्यता शुल्क, हाउसिंग सोसाइटी आदि जैसे सभी आवर्ती भुगतानों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है।
- हालांकि, वर्तमान में यह सिस्टम गैर-आवर्ती भुगतान अथवा संग्रह की अनुमति नहीं देता है।
- इसका अर्थ है कि पेशेवर सेवा शुल्क, शिक्षा शुल्क, कर भुगतान, किराया संग्रह इसके दायरे से बाहर हैं।

जी20 शेरपा



❖ सन्दर्भ

»हाल ही में G20 सदस्यों के शेरपाओं की चार दिवसीय सभा उदयपुर में संपन्न हुई।

❖ मुख्य बिंदु

- G20 शिखर सम्मेलन वार्षिक रूप से एक रोटेशनल अध्यक्षता के तहत आयोजित किया जाता है। 2023 में भारत इसका अध्यक्ष है।
- इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। बल्कि यह सचिवालय इसके अध्यक्षों (पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष तथा अगले वर्ष के लिए निर्धारित अध्यक्ष) द्वारा समर्थित है, जिन्हें एक साथ ट्रोइका कहा जाता है।
- 2023 की ट्राइका में भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील सम्मिलित हैं।
- G20 के तहत प्रक्रियाओं को दो समानांतर ट्रैक्स - फाइनेंस ट्रैक (वित्तीय ट्रैक) और शेरपा ट्रैक में विभाजित किया गया है।
- वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा किया जाता है, जो पूरे वर्ष बैठक करते हैं।
- शेरपा, नेताओं के निजी दूत होते हैं, ये शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करते हैं।
- ये वर्षभर बैठक कर शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा मर्दों पर चर्चा करते हैं और जी20 के पर्याप्त कार्य का समन्वय करते हैं।
- विशिष्ट विषयों के आसपास डिजाइन किए गए कार्यकारी समूह दोनों ट्रैकों के भीतर काम करते हैं। इनमें सदस्य राष्ट्रों के संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि और आमंत्रित/अतिथि देश भी शामिल हैं।
- विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे यूएन, आईएमएफ और ओईसीडी भी कार्यकारी समूहों में भाग लेते हैं।

मुद्रा स्वैप समझौता



सन्दर्भ :-

➤ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (MMA) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

❖ प्रमुख बिंदु

- यह समझौता \$200 मिलियन तक की मुद्रा विनिमय सुविधा का विस्तार करने के संबंध में है।
- यह MMA को कई भाग में आहरित करने में सक्षम करेगा।
- यह सुविधा अल्पावधि विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं के लिए वित्त पोषण की एक बैकस्टॉप लाइन है।

Face to Face Centres



- 2020 में, RBI ने श्रीलंका को \$400 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

❖ करेंसी स्वैप के बारे में

- विदेशी मुद्रा स्वैपिंग दो पक्षों के बीच उनके संबंधित ऋणों पर उनकी विभिन्न मुद्राओं में ब्याज दर भुगतानों के विनिमय के लिए एक समझौता है।
- समझौते के अंतर्गत ऋण की मूल राशि की स्वैपिंग भी हो सकती है।
- इसका उद्देश्य विदेशी बाजार में सीधे उधार लेने की तुलना में अधिक अनुकूल ब्याज दरों पर विदेशी मुद्रा में ऋण प्राप्त करना है।
- मुद्रा स्वैपिंग, ब्याज दर की स्वैपिंग से इसप्रकार भिन्न है कि मुद्रा स्वैपिंग में प्रमुख विनिमय सम्मिलित हो सकते हैं जबकि व्याजदर स्वैपिंग में नहीं।
- करेंसी स्वैप को लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट (LIBOR) से जोड़ा गया है।
- हालांकि, 2023 में, सिक्वोर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (SOFR) आधिकारिक रूप से LIBOR की जगह ले लेगा।

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात सोसायटी

❖ सन्दर्भ

> भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने सहायता प्रदान करने के लिए एक "राष्ट्रीय सहकारी निर्यात सोसायटी" स्थापित करने की योजना बना रही है।

❖ मुख्य बिंदु

- इसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- भारत में लगभग 800,000 औद्योगिक इकाइयां ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं, तथा अधिकांश घरेलू क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करते हैं।
- अधिकांश उद्योगों की प्रवृत्ति असंगठित हैं।
- सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने सहकारी समितियों द्वारा खरीद की अनुमति देने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस-स्पेशल पर्पस व्हीकल (GeM-SPV) के शासनादेश का विस्तार करने को भी मंजूरी दी थी।

[MCQ](#), [Current Affairs](#), [Daily Pre Pare](#)

Face to Face Centres

